



INDIAN SCHOOL SUR

Affiliated to the Central Board of Secondary Education Delhi
Affiliation No. 6130009

087(Hindi)/ISS/2023-24

CIRCULAR

11.02.2024

प्रिय अभिभावक,

हम आपको निजी उद्देश्यों के लिए स्कूल के घंटों के बाहर बच्चों द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक और इसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यक्तिगत उपयोग के संबंध में अपनी चिंताओं के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहे हैं।

हमने ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जहाँ बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करके अपमानजनक सामग्री बनाने और साझा करने, आहत करने वाली टिप्पणियाँ पोस्ट करने और साइबरबुलिंग में भाग लेते हैं। ऐसे व्यवहार के समर्थन में हमारे संस्थान द्वारा बनाए गए मूल्यों और मानकों का विरोध होता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में, इंटरनेट में व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिससे उपयोगकर्ताओं (users) को अच्छी और बुरी दोनों तरह की विभिन्न सामग्री तक पहुँच प्राप्त हो रही है। जबकि हम शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अपने छात्रों के बीच सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल इंटरैक्शन का समर्थन करते हैं, हम माता-पिता को सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनकी ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने संवादों को, ऑनलाइन बातचीत को भी निगरानी और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पंजीकरण और उपयोग के लिए आयु सीमाएँ होती हैं।

इसलिए, माता-पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अधिक सतर्क रहें और अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर करीबी से निगरानी रखें। हालाँकि स्कूल अपने परिसर के बाहर ऑनलाइन पहुँच को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की धमकी, अपमानजनक या अपमानजनक सामग्री बनाने या साझा करने से अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

Dr S Srinivasan

Principal

